न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 60/2017

1. उमादेवी पत्नी बागाराम
2. कासीराम पुत्र बागाराम
3. देवीलाल पुत्र बागाराम
4. सुगनराम पुत्र बागाराम
5. अमरसिंह पुत्र शिवलाल
6. बलवंत उर्फ उग्रसैन पुत्र शिवलाल

जाति जाट निवासीगण गांव 11 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

—— अपीलार्थीगण

बनाम

1. बहादुरराम पुत्र त्रिलोकाराम जाति जाट निवासी 13 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. सन्तरो पुत्री शिवलाल पत्नी हरीसिंह जाति जाट निवासी चक 4 सी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. सरीता पत्नी विनोदकुमार पुत्र बलराम जाति जाट (गोदारा) निवासी गंगुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. इन्द्रा पत्नी मोहन कड़वासरा पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी गांव व पोस्ट नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
5. कुलदीप पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी चक 4 सी छोटी वाया मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। ——रेस्पोडेन्टान

24/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगागनर

दिनांक 31.03.2017

उपस्थितिः–

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक अपीलांट

श्री काशीराम रणवा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1,

श्री जसराम टाक अभिभाषक रेस्पों. 2 से 5

श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 24.10.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पो. सं01 ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 251ए के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी चक 11 क्यू के मु.न. 18 के कि.न. 22 व 23 की भूमि का खातेदार मालिक है प्रार्थी के मु.न. 18 के कि.न. 24 व 25 की भूमि चिपती हुई है जिसमें अप्रार्थी सं. 1 का 1/10 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 2 से 4 का 4/10 हिस्सा है एवं अप्रार्थी सं0 5 से 10 के पिता शिवलाल का 5/10 हिस्सा है। मु.न. 18 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत है जो चालू है। प्रार्थी इस रास्ता का प्रयोग कर मु.न. 25 व 24 में से दक्षिण दिशा में पत्थर लाईन पर चलकर अपने कि.न. 23 में प्रवेश कर अपनी भूमि काश्त करता है। परन्तु कि.न. 24 व 25 की दक्षिण दिशा में रास्ता स्वीकृत नहीं है जिससे से प्रार्थी को काफी परेशानी होती है। अतः निवेदन है कि मु.न. 18 के कि.न. 25 व 24 में दक्षिण दिशा में पत्थर लाईन पर दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे जिसके लिये प्रार्थी निर्धारित मुआवजा देने को तैयार है।

24/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि कि.न. 24 व 25 में रास्ता चालू नहीं है प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने हेतु पूर्व से रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी ने गलत आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया हैं अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें ।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 31.03.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने से पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है जिससे वह आता जाता है। अधी.न्यायालय ने रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है। अधी.न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर रास्ता स्वीकृत किया है जबकि अधी.न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा यह तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अधी.न्यायालय ने रास्ता के औचित्य को भी ध्यान में नहीं रखा है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें । अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आरआरटी 2017(1)पेज 342, 2016(2) आर आर टी पेज 1281 की नजीरे पेश की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो सं.1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं था । यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होता तो वह रेकार्ड में दर्ज होता । रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में अपीलांट को भूमि दिलाई है जिससे अपीलांट के नुकसान की भरपाई हो चुकी है। इस प्रकार अधी.न्यायालय ने जो रास्ता स्वीकृत किया है वह उचित है। अतः अपील खारिज की जावें ।

24/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील में मुख्य रूप से अधी.न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील में यह आपत्तियां उठाई है कि अधी. न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व विधिक प्रकियां का पालन नहीं किया है एवं रास्ता की अत्याधिक आवश्यकता नहीं होने पर भी रास्ता स्वीकृत किया है। अधी.न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार के पत्र कमांक 958 दिनांक 06.05.2016 में यह अंकित है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है। इसका खंण्डन अपीलांट ने नहीं किया है। इसके अलावा रास्ता में आने वाले भूमि के बदले में अपीलांट को भूमि दिलाई गई है जिससे अपीलांट को हुई क्षति की पूति हो जाती है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर